कार्यालय- प्राचार्य शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी

• 26.09.18 को नैक द्वारा B++ ग्रेड प्राप्त • अग्रणी महाविद्यालय, जिला- कटनी •

Phone : 07622-292113, E-Mail : gtc_katni@yahoo.co.in, hegtckat@mp.gov.in

क्र. / 112 / शातिम / कन्या छात्रावास / 21–22 कटनी, दिनांक 09.07.21

//विज्ञप्ति//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 620 / 28 / आउशि / निर्माण शाखा–6 / 2020 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के अनुसार महाविद्यालय में कन्या छात्रावास का संचालन किया जाना है। कन्या छात्रावास के संचालन हेतु आउटसोर्स के माध्यम से निम्नानुसार पदों में भर्ती की जाना है जिसमें रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता ऐजेन्सी ही निविदा प्रस्तुत करें। निविदा सील बंद लिफाफे में निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में स्वयं या रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्राप्त निविदाओं को अंतिम तिथि के पश्चात अगले कार्य दिवस में प्राचार्य कक्ष में समय अपरान्ह 03.00 बजे खोला जावेगा। निविदाकार चाहे तो कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए निविदा खोलते समय स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

(1) **हॉस्टल मैनेजर (कुल 01 पद) महिला वर्ग हेतु आरक्षित** को उच्च कुशल मानदेय के रूप में 16613 / – रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(2) **कार्यालय सहायक (कुल 01 पद) महिला वर्ग हेतु आरक्षित** को कुशल मानदेय के रूप में 14733 / – रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(3) **भृत्य/चौकीदार (कुल 03 पद)** को अकुशल मानदेय के रूप में 11500 / – रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(4) **स्वीपर (कुल 01 पद) महिला वर्ग हेतु आरक्षित** को अकुशल मानदेय के रूप में 11500 / – रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(5) **सुरक्षा सुपरवाईजर (कुल 01 पद)** को कुशल मानदेय के रूप में 14733 / – रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(6) **सुरक्षा गार्डस (कुल 04 पद)** को अकुशल मानदेय के रूप में 11500 / – रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

उक्त मानदेय / वेतन का भुगतान महाविद्यालय में स्वीकृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद के विरूद्ध आहरण किया जायेगा एवं कलेक्टर दर समय–समय पर परिवर्तन होने पर मानदेय परिवर्तनीय होगा।

निविदाकार की अर्हताएं :–

(1) निविदाकार के पास सेवा प्रदाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (जिसमें न्यूनतम 01 वर्ष का किसी एक संस्था में सतत् कार्य सपांदन का अनुभव होना अनिवार्य है।)

(2) निविदाकार का पिछले तीन वर्षो (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। जिसका प्रमाण पत्र (आई.टी.आर.) या ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख।

(1) निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ क्रमबद्ध संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र।

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।

(iv) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।

(v) श्रम विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध एवं उपयुक्त लेबर लाइसेंस की प्रति।

GTC 20/157

क्रमशः 02

(vi) स्थायी आयकर नबंर (पैन) तथा पिछले वर्ष प्रस्तुत आयकर रिटर्न एवं टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की प्रति।

(vii) जी.एस.टी. विभाग द्वारा जारी पंजीयन लाइसेंस की प्रति।

(viii) शासकीय एवं अशास. संस्था के पास सामानांतर कार्य का एक वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र।

(ix) सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत पसारा लाइसेंस प्रमाण पत्र की प्रति।

अर्हता संबंधी दस्तावेज मान्य अथवा अमान्य किये जाने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, शास. तिलक महावि. कटनी को होगा। उपरोक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता का दस्तावेज संलग्न न होने पर संबंधित फर्म की योग्यता निरस्त की जावेगी।

निविदा की स्वीकृति

(1) निविदाकर्ता अपनी निविदा दो लिफाफे में डालकर 01 लिफाफे में टेक्नीकल विड एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय विड/प्राइस विड (रेट लिस्ट) होगी।

(2) सर्वप्रथम टेक्नीकल विड की जांच की जावेगी। जिसके सही पाये जाने के पश्चात ही वित्तीय विड/प्राइस विड (रेट लिस्ट) खोली जावेगी, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।

(3) प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार प्राचार्य, शासकीय तिलक महावि. कटनी के पास होगा एवं इस संबंध में फर्म/संस्था द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नही किया जायेगा।

(4) 01 अथवा समस्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बतलाये अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार प्राचार्य, शास. तिलक महावि. कटनी के पास होगा।

(5) शर्तानुसार/नियमानुसार प्राप्त होने वाली निविदाओं में दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में कार्य का आवंटन फर्म की अर्हक योग्यता, दस्तावेज, टर्न ओवर के आधार पर किया जायेगा।

निविदाकर्ताओं को समस्त शासकीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. एस.के. खरे)
प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय तिलक स्नातकोत्तर
महा. कटनी